भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1095

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

राशन कार्डों में आधार सीडिंग

1095. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल ने राज्य में राशन कार्डों में सम्मिलित लगभग 3.49 करोड़ सदस्यों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा यथानिर्धारित व्यवस्थानुसार 3.49 करोड़ लाभार्थियों में से प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों की संख्या को 46.34% तक बढ़ाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को तद्नुसार केरल से 7,06,331 और लाभार्थियों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): केरल की राज्य सरकार ने अक्तूबर 2022 में 40.84 लाख राशन कार्डों के शत-प्रतिशत आधार सीडिंग की सूचना दी है।

(ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश (टीपीडीएस), 2015 के अनुसार, राशन कार्ड/लाभार्थी सूची की समीक्षा, अपात्र/नकली राशन कार्डों की पहचान और वास्तविक पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है और हटाए गए राशन कार्डों से हुए लाभ का उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एनएफएसए के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज सीमा के अधीन रहते हुए नए लाभार्थियों/राशन कार्डों का लक्ष्यीकरण करके/शामिल करके किया जाता है।

(ग और घ): जी हां। इस विभाग को अक्तूबर 2022 में केरल की राज्य सरकार से वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में, जब तक की वर्ष 2021 की जनगणना पूरी नहीं हो जाती, प्राथमिकता श्रेणी में आधार सीडेड लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

...2/-

इस संबंध में, इस विभाग ने दिनांक 21 अक्तूबर 2022 के अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान मंत्री को सूचित किया है कि इस विभाग ने पहले ही कवरेज के मुद्दे पर दिनांक 6 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और नीति आयोग के साथ बैठक की थी, जिसमें ये सूचित किया गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना नहीं की जा सकी। इसलिए, एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत वर्तमान मानदंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज के निर्धारण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकसमान रूप से लागू है, जिसके आधार पर राज्यों को खाद्यानों के आवंटन की राष्ट्रीय सीमा (सीलिंग) निर्धारित की जाती है। इसलिए, इस समय केरल सहित किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कवरेज में वृद्धि करना संभव नहीं है।

*****